फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल **विपक्षी : श्री देवीलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 32/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प ढुंढिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन बाद तामील प्राप्त, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 333 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वादी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज होकर वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी ने अपने वाद में आराजी नम्बर 333 में प्रतिवादी के द्वारा वादी के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 333 किता 1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:09 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता परसराम ब्राहम्ण निवासी नीलकण्ठ महादेव ढुंढिया तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता केला गुर्जर निवासी नान्दोली खुर्द तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 32/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00091

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नान्दोली खुर्द पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 333 किता 1 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादीगण को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 14:12:09 IST
Reason: SelfAttested